मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा–2019

दिनांक 07.01.2021

ऑनलाइन आवेदन अवधि	प्रवेश पत्र उपलब्धता अवधि	परीक्षा अवधि
दिनांक **11.01.2021** से	दिनांक **10.03.2021** से	दिनांक **21.03.2021** से
दिनांक **09.02.2021** तक	दिनांक **21.03.2021** तक	दिनांक **26.03.2021** तक

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 03/2019 दिनांक 14.11.2019 के संदर्भ में आयोजित की गयी, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 21.12.2020 को घोषित किया गया है । उक्त परीक्षा में सफ़ल आवेदकों हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का आयोजन <u>दिनांक **21.03.2021** से दिनांक **26.03.2021** तक</u> **इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर छिंदवाडा, रतलाम, सतना** तथा **शहडोल** स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जाएगी :–

दिनांक	विषय	समय
21.03.2021	सामान्य अध्ययन–I	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
22.03.2021	सामान्य अध्ययन–II	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
23.03.2021	सामान्य अध्ययन– III	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
24.03.2021	सामान्य अध्ययन–IV	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
25.03.2021	सामान्य हिन्दी	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
26.03.2021	हिन्दी निबंध लेखन	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश :-

टीपः– (1) आगामी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 प्रश्नोंत्तर पुस्तिका (Structured Answer Copy/ Question Answer Booklet) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्नोंत्तर पुस्तिका (Question Answer Booklet) में प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने के लिए दिए गए स्थान पर ही निधारिंत शब्द सीमा में अपना उत्तर लिखना होगा। अन्यत्र किसी स्थान पर उत्तर लिखने पर अमान्य किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग की वेबसाइट पर नमूनार्थ प्रश्नोंत्तर पुस्तिका (Question Answer Boklet) प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थी उन्हें डाउनलोड कर परीक्षापूर्व भलीभांति अभ्यास कर लें।

(2) परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या को कम किया जा सकता है ।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि षष्ठ प्रश्न–पत्र <u>हिन्दी निबन्ध लेखन</u> प्रश्न–पत्र सभी अभ्यर्थियों को हिन्दी में ही हल करना होगा । अंग्रेजी माध्यम चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को भी षष्ठ प्रश्न–पत्र हिन्दी माध्यम से ही हल करना होगा।

02 राज्य सेवा प्रारंभिक लिखित परीक्षा मे शार्टलिस्टेड सफ़ल पात्र आवेदकों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा । मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **11.01.2021 (दोपहर 12:00 बजे)** से **09.02.2021** (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं । आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:–

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा **दिव्यांगजन** आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/	₹ 800/
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/– (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है । यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.आनलाइन से हेल्पलाइन –0755-6720200 तथा 0755-6720201 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं

03 विलम्ब शुल्क सहित आवेदन :– **आयोग की यह मान्यता है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन भर देंगे** । अत: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09.02.2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाते हैं उनकी सुविधा हेतु अन्तिम तिथि के बाद विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन की निम्नांकित व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. दिनांक 10.02.2021 से 16.02.2021 तक – ₹ 3000/
2. दिनांक 17.02.2021 से 13.03.2021 तक– ₹ 25000/

विशेष : 1. विलम्ब शुल्क की उपरोक्त राशि के साथ परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान पृथक से देय होगा।
2. ₹3000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदनों में दिनांक **28.02.2021** तक तथा ₹25000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिनांक **15.03.2021** तक विहित शुल्क का भुगतान कर त्रुटि सुधार किया जा सकेगा ।

04 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक **12.01.2021** से दिनांक **28.02.2021** तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे । त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकैंगे । त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/– (सेवाकर सहित) देय होंगे । जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे राज्य सेवा परीक्षा 2019 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

05 मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **10.03.2021** से दिनांक **21.03.2021** तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे । प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जाएँगे । प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं । कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/– पोर्टल शुल्क देय होगा ।

06 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान–पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :–

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड (फ़ोटोकापी मान्य)	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय–पत्र				

07 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:–

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(2) दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

08 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 में सामान्य अध्ययन के चार प्रश्न–पत्र तथा सामान्य हिन्दी एवम हिन्दी निबन्ध लेखन के दो प्रश्न–पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में तथा शेष दोनों प्रश्न–पत्र (सामान्य हिन्दी तथा हिन्दी निबन्ध लेखन) केवल हिन्दी माध्यम में होंगे । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्र में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न–पत्रों के भाषा विकल्प (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) का चयन करना होगा.

09 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 की **परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम** राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है ।

सचिव